न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 125/2017 **दायरा दिनांक : 31.07.2017**

उनवान

1— दयालनाथ आत्मज धूलीलाल जी, जाति नाथ, निवासी ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— सुरेन्द्र नाथ आत्मज दयालनाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— नरेन्द्र नाथ आत्मज दयालनाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— रामकरण आत्मज केसरीलाल जी, जाति मीना, निवासी ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— जसोदा बाई पत्नी श्री मुरलीधर जी, जाति मीना, निवासी ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— मुरलीधर आत्मज हीरालाल जी, जाति मीना, निवासी ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री भारत सिंह अडसेला एवं श्री रूपेश श्रृंगी

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.01.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 41/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट रामकरण ने अपीलांटगण 1, 2, 3, एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2, 3 के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पाण्डली, तहसील मांगरोल में साबिक खसरा नम्बर 186 हाल खसरा नम्बर 493 रकबा 0.54 हेक्टर आराजी स्थित है जो वादी को आवंटित हुई थी और नामान्तरकरण संख्या 288 दिनांक 12.02.2009 से वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे । आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा काश्त है उसने काफी मेहनत करके भूमि को उपजाऊ बनाया है। इस आराजी से लगवा वादी की काश्त व खातेशुदा आराजी खसरा नम्बर 485/759 रकबा 1.60 हेक्टर आराजी स्थित है इसमें से 0.64 हेकटर आराजी प्रतिवादी क्रम 4 जसोदा बाई को बेचान की है और यह आराजी इंतकाल संख्या 256 से प्रतिवादी नम्बर 4 के खाते में दर्ज हो चुकी है । प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की आराजी से लगवां वादी की खसरा नम्बर 494 की आराजी है। प्रतिवादीगण वादी के खाते की आराजी खसरा नम्बर 493 पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 4 और 5 बेचान की गई आराजी 0.54 हेक्टर आराजी से अधिक पर कब्जा करना चाहते है । यदि वे अपने कृत्य में सफल हो गये तो वादी को काफी क्षति होगी । यदि प्रतिवादी जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने में सफल हो गये तो पुलिस सहायता से सीमाज्ञान करवा कर प्रतिवादीगण को

बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.05.2017 को दावा वादी राजस्व लोक अदालत में आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली बिना किसी पूर्व सूचना के लोक अदालत में रखी गयी और अपीलांट की गैर मौजूदगी में एक पक्षीय रूप से निर्णय करते हुए अपीलांटगण को बेदखल कर कब्जा संभलाये जाने का निर्णय पारित किया है । पत्रावली में अपीलांट के द्वारा शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था । जिसके बाबत रेस्पोडेंट के द्वारा जबाब पेश नहीं किया जा रहा था । जवाब प्रार्थना पत्र में पत्रावली लम्बित थी और लोक अदालत में बिना अपीलांट को सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । वादी का इस आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । कपटपूर्ण तरीके से आवंटन करवाया गया है । प्रतिवादी नम्बर 4 और 5 के खिलाफ कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी अपीलांट की शहादत बन्द की गई थी जिसको पुनः खोलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था । इस प्रार्थना पत्र को केम्प में खारिज किया गया । केम्प की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है । रेस्पोडेंट भूमिहीन नहीं है । गलत रूप से वादग्रस्त आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट को किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपील अवधि बाधित है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपीलांट को शहादत के कई अवसर दिये गये थे इसके बाद भी शहादत पेश नहीं की गयी, इस कारण इनकी शहादत बन्द की गई । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । लोक अदालत में पारित निर्णय के खिलाफ अपील मेंटेनेबल नहीं है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2016–17 पेज 714 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया गया है और फिर भी बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में केवल

उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो उसके अभाव में सी पी सी की पालना में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.04.2018 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा